

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-445 / 2012संस्थित दिनांक-03.07.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मालनपुर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

महेन्द्र पुत्र सुरेशसिंह कुशवाह उम्र 29 साल

निवासी ग्राम तिलोरी थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 08.11.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 324, 323, 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 14.06.12 को शाम पौने पांच बजे ए0के0वी0एन0 की बिल्डिंग के पास कछवाई मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उस एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया, फरियादी को दाहिनी तरफ सिर में लाठी मारकर उपहति एवं फरियादी के बखा में लाठी मारकर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि घटना दिनांक 14.06.12 को शाम करीब 4:45 बजे फरियादी अशोक शर्मा अपने भतीजे अवधेश शर्मा के साथ पुलंदर की कछवाई पर गया और पुलंदर से कहा कि चाचा की मारपीट क्यों की तो पुलंदर व अभियुक्त महेन्द्रसिंह मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा। गालियां देने से मना किया तो महेन्द्र ने लाठी मारी जो फरियादी अशोक शर्मा को दाएं तरफ सिर में लगी, खून निकल आया व दूसरी लाठी दाहिने कंधे में लगी। भतीजे अवधेश ने बचाया। अभियुक्त बोला कि थाने पर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0 88/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शा मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.06.12 को शाम पौने पांच बजे ए०के०वी०एन की बिल्डिंग के पास कछवाई मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उस एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?
2. क्या घटना, दिनांक एवं सुसंगत समय पर आहत को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?
3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को दाहिनी तरफ सिर में लाठी मारकर उपहति कारित की ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी के बखा में लाठी मारकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
5. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अशोक शर्मा अ०सा० 1, भूपेन्द्र शर्मा अ०सा० 2, डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 3, राकेश प्रसाद अ०सा० 4, अवधेश अ०सा० 05 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का सकारण निष्कर्ष //

6. फरियादी अशोक अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि घटना शाम 4:30—5 बजे की है वह तथा उसका भतीजा अवधेश पुलंदर की कछवाई पर एक दिन पहले की मारपीट के संबंध में पूछने गए तो वहां अभियुक्त महेन्द्र था जो उन्हें गाली देने लगा। अभियुक्त द्वारा मादरचोद बहन चोद की गंदी गंदी गाली देने का कथन किया गया है। अवधेश अ०सा० 5 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि जब वह तथा अशोक एक दिन पहले हुई मारपीट के संबंध में पूछने गए तो पुलंदर और महेन्द्र ने उन्हें मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दी जो सुनने में बुरी लगी। घटना के समय भूपेन्द्र के द्वारा बीच बचाव करना फरियादी अशोक द्वारा बताया गया है। भूपेन्द्र अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि शाम करीब 4:45 या 4:30 बजे वे पुलंदर की

कछवारी पर भैंस चरा रहे थे। फरियादी अशोक व उसका भतीजा अवधेश गांव तरफ से चले आ रहे थे। अवधेश ने पुलंदर से कहाकि तुमने चाचा को गाली क्यों बकी तो उनका झगडा होने लगा। यह कथन करता है कि उसने लड़ाई की आवाज सुनी तो दौडकर आया। इसके बाद मारपीट की घटना का कथन करता है।

7. प्रकरण में फरियादी अशोक शर्मा, चक्षुदर्शी अवधेश व भूपेन्द्र ने अभियुक्त द्वारा झगडा किए जाने, अशोक अ0सा0 1 द्वारा मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां देने तथा अवधेश अ0सा0 5 द्वारा मादरचोद बहनचोद की गालियां पुलंदर और महेन्द्र द्वारा दिए जाने और उन्हें सुनने में बुरी लगने का कथन किया है। रिपोर्ट प्र0पी0 1 द्वारा फरियादी व साक्षी के कथनों की पुष्टि होती है जिसमें अभियुक्त महेन्द्रसिंह द्वारा मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिए जाने का तथ्य उल्लेखित है। घटनास्थल पुलंदर की कछवाई बताई गयी है जो खुला स्थान होकर सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में आता है। ऐसी दशा में सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण जिससे उसे सुनने वाले फरियादी व साक्षी को बुरा लगा अथवा क्षोभकारित होने का कथन अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु पर्याप्त पाए जाते हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 294 का आरोप प्रमाणित है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 5 का सकारण निष्कर्ष//

8. प्रकरण में फरियादी अशोक शर्मा अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि अभियुक्त बोल रह था कि यदि तुमने रिपोर्ट की तो जान से मार दंगे। यही कथन भूपेन्द्र अ0सा0 2 व अवधेश अ0सा0 5 ने भी किया है, किन्तु किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभिकथित धमकी से भय अथवा संत्रास कारित होने का अभिकथन नहीं किया। संहिता की धारा 506 भाग दो के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु मात्र धमकी का उद्घोष आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि अभिकथित धमकी संत्रास कारित करने के आशय से दी जाना आवश्यक है जिससे धमकी दिए गए व्यक्ति को भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो। इस संबंध में सारवान साक्ष्य होना आवश्यक है। संहिता की धारा 506 भाग दो के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु संत्रास या भय का तथ्य मानसिक तथ्य है जिसके प्रमाणित करने हेतु साक्षीगण का आचरण सुसंगत है। फरियादी अशोक शर्मा कथित जान से मारने की धमकी देने का कथन अवश्य करते हैं किन्तु उक्त धमकी से भय अथवा संत्रास का कोई कथन नहीं करते, न ही अन्य साक्षी भूपेन्द्र अ0सा0 2 व अवधेश अ0सा0 5 करते हैं। जहां तक आचरण का प्रश्न है तो घटना शाम 4:45 बजे की बताई गयी है, जबकि रिपोर्ट 5:45 बजे उसी दिनांक को लेख की गयी है जिसमें कोई विलंब अथवा भय का कारण फरियादी व हमराही अवधेश अ0सा0 5 के आचरण से स्पष्ट नहीं होता है। अतः संहिता की धारा 506 भाग दो का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का सकारण निष्कर्ष //

9. प्रकरण में फरियादी अशोक अ0सा0 1 यह कथन करता है कि महेन्द्र ने उसे दो लाठियां मारी जिसमें एक सिर में दाहिनी तरफ और दूसरी लाठी दाहिनी ओर बखा अर्थात कंधे में लगी। भूपेन्द्र अ0सा0 2 कथन करता है कि अशोक को सिर में दाहिनी ओर और दाहिने कंधे में लाठी लगी। अवधेश भी दाहिने बखा और सिर में चोट आने का कथन करते हैं। घटना के संबंध में रिपोर्ट प्र0पी0 1 के द्वारा फरियादी के कथन का समर्थन होता है। राकेश प्रसाद अ0सा0 4 भी घटना दिनांक को थाना मालनपुर में फरियादी द्वारा उसके सिर में दाहिनी तरफ और दाहिने बखा में लाठी से अभियुक्त द्वारा चोट पहुंचाए जाने के संबंध में रिपोर्ट प्र0पी0 1 लेखकर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं।

10. डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 3 घटना दिनांक 14.06.12 को सीएचसी गोहद में आहत अशोक को परीक्षण हेतु लाए जाने पर दाहिनी तरफ सिर में फ्रन्टो पैराइटल भाग में चोट 4 गुणा 1.5 गुणा 1 सेमी0 जिसके किनारे धारदार होने एवं कंटूजन दाहिने स्केपुला पर 3 गुणा 3 सेमी0 का मौजूद होने का कथन करते हुए आहत को सिर में पाई गयी चोट धारदार वस्तु से व कंधे की चोट कठोर व भौथरी वस्तु से 0 से 3 घण्टे के भीतर आने की सुसंगत राय देते हैं। प्र0पी0 3 की मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्र0पी0 3 की रिपोर्ट चिकित्सक्य द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से उस पर अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार न होने से विधितः प्रमाणित है। आहत को पाई गयी चोटों उसके शरीर पर न होने के संबंध में कोई भी सुझाव चिकित्सक को नहीं दिया गया और चोटों के संबंध में फरियादी व साक्षियों से कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया। ऐसी दशा में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 14.06.12 को आहत अशोक शर्मा को सिर में व कंधे में चोट मौजूद थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या फरियादी को आई चोट अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छिक रूप से कारित की गयी ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 व 4 का सकारण निष्कर्ष //

11. प्रकरण में फरियादी अशोक शर्मा अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि वे और उनका भतीजा अवधेश एक दिन पहले हुई घटना के संबंध में पुलंदर नाम के व्यक्ति से पूछने गए थे तो वहां अभियुक्त द्वारा गाली गलौंच कर अशोक शर्मा की मारपीट की गयी। अशोक शर्मा अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि अभियुक्त गाली देने लगा और फिर सिर में तथा दूसरी लाठी दाहिने बखा में मारी। अवधेश अ0सा0 5 भी यही कथन करता है कि उसके चाचा को महेन्द्र ने लाठी मारी। घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भूपेन्द्र अ0सा0 2 जो तत्समय घटनास्थल पुलंदर की कछवारी के 15-20 फीट दूर भैसे चराने और पुलिया पर बैठे होने का कथन करते हैं, वे भी बताते हैं कि

अभियुक्त महेन्द्र ने फरियादी अशोक को दो लाठियां मारी थीं। इस प्रकार से फरियादी व साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा लाठी से उपहति कारित करने का अभिसाक्ष्य किया है।

12. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि पुलंदर अभियुक्त के चाचा का लडका है जिसकी रिपोर्ट से फरियादी व साक्षी अवधेश के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है और मारपीट का मामला चल रहा है। इस तथ्य को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में अशोक शर्मा अ0सा0 2 ने स्वीकार किया है। यह तर्क प्रस्तुत किया कि उसी बुराई के कारण अभियुक्त को मिथ्या अपराध में लिप्त किया है। प्रकरण में जहां बुराई के कारण झूठे अपराध में लिप्त किए जाने का आधार बताया है वहां बुराई या रंजिश का तथ्य घटना का सुसंगत कारक भी हो सकता है। जहां फरियादी को चोटें विधिवत प्र0पी0 1 व 3 के दस्तावेजों से समर्थित है और उनका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं हैं, ऐसी दशा में मात्र रंजिश के आधार पर फरियादी व भूपेन्द्र अ0सा0 2 एवं अवधेश अ0सा0 3 की अभिसाक्ष्य तथा चिकित्सीय अभिसाक्ष्य व दस्तावेज को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है।

13. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि फरियादी व साक्षियों द्वारा लाठी से उपहति कारित किए जाने संबंधी कथन किया है, जबकि चिकित्सक ने फरियादी अशोक अ0सा0 1 को सिर में पाई चोट धारदार वस्तु से कारित होने के संबंध में कथन किया है। जहां तक फरियादी को लाठी से उपहति पहुंचाए जाने अथवा धारदार वस्तु से उपहति पहुंचाए जाने का प्रश्न हैं, तो इस संबंध में यह सत्य है कि फरियादी व चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा अभियुक्त का लाठी द्वारा उपहति पहुंचाए जाने के संबंध में कथन किया गया है। अवधेश ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में इस सुझाव को स्वीकार किया कि चाचा को जो लाठी मारी उसमें लोहे की कोई धारदार वस्तु नहीं लगी थी। उक्त सुझाव के द्वारा स्वयं अभियुक्त के लाठी से उपहति कारित किए जाने के तथ्य का समर्थन होता है। जहां तक किसी धारदार वस्तु से चोट न पहुंचाए जाने का तर्क है तो चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में मौखिक साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए। सिर में लगी लाठी के संबंध में यह तथ्य चिकित्सीय विधि में प्रायः सामान्य है कि सिर में आई चोट यद्यपि शक्ति व भोथरी वस्तु से आई हो किंतु उसका प्रभाव आयु, लिंग, उपहति कारित करने के लिए लगाया गया दबाव आदि पर निर्भर होता है ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि धारदार वस्तु से कारित की हो। जहां किसी धारदार वस्तु, असन, वेधन, काटने वाली वस्तु आदि से चोट कारित न की गयी हो तो ऐसी दशा में संहिता की धारा 324 का अपराध गठित न होते हुए धारा 323 का अपराध गठित होगा।

14. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षीगण हितबद्ध हैं, इस कारण से विश्वसनीय नहीं है। इस संबंध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि आहत अशोक ने अभियुक्त के स्वेच्छिक कृत्य की अभिपुष्टि की हैं। उनके शरीर पर चोटें प्रमाणित हैं ऐसी दशा में वे आहत हैं की

साक्ष्य दांडिक विधि में अधिक महत्व रखती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि -

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया-

“21. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 : (AIR 2011 SC (Cri) 964 : 2010 AIR SCW 5701); Kailas and Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793 : (AIR 2011 SC 598); Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676 : (AIR 2011 SC 795 : 2011 AIR SCW 856); and State of U.P. v. Naresh and Ors., (2011) 4 SCC 324 : (AIR 2011 SC (Cri) 761 : 2011 AIR SCW 1877)).
Resently Followed in :- Narender Singh and others v. State of Madhya Pradesh 2015(11) SCALE 557 : JT 2015 (9) SC 435”

15. जहां तक फरियादी एवं आहत के कथन में विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया है तो उसके कथन में कथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। न्यायदृष्टांत योगेशसिंह विरुद्ध महावीरसिंह व अन्य एआईआर 2016 एस०सी०-5160 : जे०टी० 2016 (10) एस०सी० 332 : 2016 (4)

सीसीएससी 1876 की कण्डिका 29 में मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "विधि में सुस्थापित है कि कुछ असंगतताओं को महत्व प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य पर विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि साक्ष्य असाधारण है और प्रज्ञा के परीक्षण के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह अभियोजन कथन में कमी सृजित कर सकता है। यदि कोई लोप या असंगतता मामले की तह तक जाती है और विषमताओं को प्रविष्ट करती है, तो प्रतिरक्षा ऐसी असंगतियों का लाभ ग्रहण कर सकता है। यह अभिकथित करने के लिए किसी विशेष प्रबलता की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक लोप तात्विक लोप का स्थान नहीं ले सकता इसलिए कुछ असंगतियां, विषमताएं या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते और अभियोजन साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए आधार रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लोप को साक्षी की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता के बारे में गंभीर संदेह सृजित करना चाहिए। केवल गंभीर पारस्परिक विरोध और लोप ही, तात्विक रूप से अभियोजन के मामले को प्रभावित करते हैं किन्तु प्रत्येक परस्पर विरोध या लोप नहीं।" इस मामले में फरियादी अशोक अ0सा0 1, भूपेन्द्र अ0सा0 2 व अवधेश अ0सा0 5 की साक्ष्य पर न्यायालय के समक्ष अविश्वास हेतु युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं हैं।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 14.06.12 को शाम पौने पांच बजे ए0के0वी0एन0 की बिल्डिंग के पास कछवाई मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उस एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया तथा फरियादी को दाहिनी तरफ सिर में लाठी मारकर उपहति एवं फरियादी के बखा में लाठी मारकर स्वेच्छा उपहति कारित की अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 294, 323 के अधीन **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त को संहिता की धारा 324, 506 भाग दो के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।

18. अभियुक्त के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

19. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण परिवेश का होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

20. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त की आयु 24 वर्ष घटना के समय लेख की गयी है। वर्तमान में भी अभियुक्त की आयु अत्यधिक नहीं है। साथ ही प्रकरण में अभियुक्त को लगभग पांच वर्ष के विचारण का सामना करने का तथ्य भी विचार योग्य है। ऐसी दशा में अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दंडित न करते हुए उन्हें शिक्षाप्रद दण्ड से दंडित किया जाना न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायोचित पाया जाता है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 323 के अधीन न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं 800 रुपये अर्धदण्ड तथा धारा 294 के आरोप में न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं 700 रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

21. अभियुक्त से अर्धदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत अशोक शर्मा को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्त की धारा 357-1 ख के अधीन 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

22. प्रकरण में जब्त शुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे, अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

23. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

24. अभियुक्त की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश